



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 वैशाख 1939 (श०)

(सं० पटना 305) पटना, शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

21 अप्रैल 2017

सं० एल०जी०-०१-०३/२०१७/६१ लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रैल 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम-9, 2017]

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

3. यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा – 5 में संशोधन।—

(1) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-5 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :—

“परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय को आशय पत्र में वर्णित अवधि में न्यूनतम पाँच हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल का निर्मित भवन/परिसर अस्थायी रूप से उपलब्ध होने की स्थिति में इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं अन्य सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 6 के तहत विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।”

(2) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-5 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :—

“परंतु प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र में वर्णित समयावधि में प्रयास करने के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने में असफल रहने की स्थिति में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की दो वर्षों की समयावधि को अधिकतम अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित कर सकेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

21 अप्रैल 2017

सं० एल०जी०-०१-०३/२०१७/६२ लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा **dated 12th April, 2017** को अनुमत **बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 9,2017]

Bihar Private University (Amendment) Act, 2017

AN

ACT

To Amend Bihar Private Universities Act 2013.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) This Act may be called Bihar Private University (Amendment) Act , 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in section 5 of Bihar Private University Act, 2013.—**

(1) the following proviso shall be added after clause (iii) of Sub section (1) of section 5 of The Bihar Private University Act, 2013.

"Provided that in case of availability of a temporary/lease building having constructed area of minimum 5000 Square meter fulfilling the all other requirements and conditions specified in sub section (1) of this section the state government may allow to operate Private University under section 6 of this Act. "

-
- (2) the following proviso shall be added after sub section (2) of Section 5 of Bihar Private University Act, 2013.

"Provided that Where in spite of making efforts, sponsoring body has failed to submit compliance report during the time period mentioned in letter of intent, in that circumstances, the state government may extend the time period of two year for submission of compliance report for maximum next two years. "

By Order of the Governor of Bihar,
SURENDRA PRASAD SHARMA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 305-571+400-८०८०८०१
Website: <http://egazette.bih.nic.in>